गार्ड तथा स्कोर्ट के नियम

नियम-7 सन्तरी के कर्तव्य-

- सन्तरी निर्धारित वर्दी पहनेगा।
- सशस्त्र सन्तरी शस्त्र पर संगीन लगाकर “कन्धे शस्त्र “ में टहलेगा।
- पुलिस अधीक्षक भरे शस्त्र लेकर टहलने का आदेश दे सकते हैं तथा सन्तरी दिन व रात में हर 10 मिनट में अपनी बीट पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलेगा
- सन्तरी अपनी पोस्ट की तरफ मुँह करके खड़ा नही होगा।
- सन्तरी सभी तालों को चैक करेगा जो उसके चार्ज में दिये गये हैं यदि किसी भवन का ताला खराब है या कोई खतरा है, तो उसकी सूचना गार्द कमाण्डर को देगा।

नियम-8 सन्तरियों की बदली

- थाना, हवालात, मालखाना के सन्तरी के अतिरिक्त जिनके लिए विशेष आदेश है और नियम 21 में वर्णित नियमों के अतिरिक्त सन्तरी की बदली गार्द कमाण्डर द्वारा होगी
- दिन में एक सन्तरी ड्यूटी-:

6-8	अ	ब	स	द
8-10	ब	स	द	अ
10-12	स	द	अ	ब
12-02	द	अ	ब	स
02-04	अ	ब	स	द
04-06	ब	स	द	अ

- रात में एक सन्तरी ड्यूटी-:

6-8	**स**	**द**	**अ**	**ब**
8-10	द	अ	ब	स
10-12	अ	ब	स	द
12-2	ब	स	द	अ
2-4	द	अ	ब	स
4-6	अ	ब	स	द

नियम 9- टोकना

- सन्तरी किसी अनाधिकृत व्यक्ति को अपने चार्ज के स्थान के निकट नहीं आने देगा।
- किसी समय जब टोकना आवश्यक हो सन्तरी “थम कौन आता है “ कहकर टोकेगा।
- जैसे ही व्यक्ति/दल निकट आये कि बात कर सके “तान शस्त्र” की दशा में आ जायेगा।
- जब व्यक्ति/दल को सन्तरी पहचान ले और संतुष्ट हो जाये तो सन्तरी “चलो दोस्त सब ठीक है” कहेगा

नियम 9

टोकना

- दूसरी दशाओं में जब प्रथम बार सन्तरी व्यक्ति/दल को पहचान ले तो वह तान शस्त्र की दशा में आ जायेगा और “एक आगे बढ़” पुकारेगा। जब वह संतुष्ट हो जायेगा तो चलो दोस्त सब ठीक है कहेगा।
- यदि टोकी गयी पार्टी या दल कोई उत्तर न दे और सन्तरी संतुष्ट नहीं हो, तो सन्तरी “तान शस्त्र” की दशा में दुबारा टोकेगा और फिर भी उत्तर न मिले तो सन्तरी गार्द को “लाइन बन” पुकारता हुआ अलार्म देगा।

नियम 10

निरीक्षण पदाधिकारियों का आना

- निरीक्षणकर्ता राजपत्रित अधिकारी को ग्राण्ड राउण्ड्स तथा अराजपत्रित निरीक्षणकर्ता को विजिटिंग राउण्ड्स समझा जायेगा।
- ग्राण्ड राउण्ड्स की दशा में “सलामी शस्त्र” तथा विजिटिंग राउण्ड्स की दशा में “कन्धे शस्त्र “की दशा में आ जायेगा।

नियम 12-अभिवादन

- अभिवादन देने में जबकि गार्ड “लाइन बन” होनी हो, गार्ड कमाण्डर इस प्रकार समय रखकर आदेश देगा कि अभिवादन उस समय पूरा हो जबकि अभिवादन ग्रहण करने वाला पदाधिकारी गार्ड के सामने पहुँच जाये।
- गार्ड रिवाली रिट्रीट के समय तथा टैंटू बजने पर टर्न आउट होगी और तब गार्ड कमाण्डर उनका सावधानीपूर्वक निरीक्षण करेगा।
- सम्मान गार्ड जब वह महामहिम राष्ट्रपति अथवा महामहिम राज्यपाल के लिए लगायी जायेगी किसी निम्न पद वाले व्यक्ति को अभिवादन नहीं करेगी।

नियम 12-अभिवादन

- गार्ड अशस्त्र दल के लिए "लाइन बन" नहीं होगी
- महामहिम राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल महोदय के अतिरिक्त गार्ड किसी पदाधिकारी के लिए जो वर्दी में नहीं है लाइन बन नहीं होगी
- अभिवादन अधिकारी रास्ते में मिल जायें तो कन्धे शस्त्र की दशा में गुजरेगी "दाँहिने देख" अथवा "बाँये देख" जैसी भी दशा हो करते चले जायेंगे।
- रात्रि में अभिवादन समस्त गार्ड सावधान की दशा में देगी।

नियम 12-अभिवादन

- दिन में रिवाली और रिट्रीट के बीच में गार्ड स्पेशल गार्डों को छोड़कर जिनका विवरण नीचे दिया गया है, निम्न प्रकार सभी समय पर टर्न आउट होगी तथा “लाइन बन” व “सलामी शस्त्र” होगी।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय,महामहिम राज्यपाल महोदय,पुलिस महानिदेशक पुलिस,अपर महानिदेशक पुलिस,महानिरीक्षक पुलिस, जिलाधीश या इस पद से ऊँचे सिविल ऑफिसर्स. फौजी अफसर जिनका पद जनरल का हो, सशस्त्र सेना के आने पर अथवा गुजरने पर, पुलिस अधीक्षक को दिन में एक बार,समस्त मंत्री महोदय

नियम 12क

रैतिक परेड

- गणतन्त्र दिवस के अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस या उप महानिरीक्षक पुलिस की पूर्व अनुमति
- महामहिम राज्यपाल या मंत्री या कमिश्नर या जिलाधीश आमंत्रित न होने पर सीनियर पुलिस अफसर अभिवादन ग्रहण करेंगे।

नियम 14

शस्त्र तथा कारतूस

- सशस्त्र गार्ड को मस्कट/रायफल तथा 20 कारतूस गार्ड के प्रत्येक सदस्य को दिये जायेंगे।
- सन्तरी को ड्यूटी परिवर्तन के समय शस्त्र व कारतूस ,बिन्डोलिया चैक करके लेनी चाहिए।
- सन्तरी ड्यूटी को छोड कर सभी व्यक्ति कारतूस गार्ड रूम के आर्म्स रैक में बन्द रखेंगे।

नियम 15

शस्त्रों तथा कारतूसों की सुरक्षा

- सभी दशा में गार्ड कमाण्डर शस्त्र व कारतूस का जिम्मेदार माना जायेगा।
- गार्ड रूम के आर्म्स रैक व कारतूस बक्से की चाबी स्वंय रखेगा
- यदि वह बाहर कहीं जाता है तो नियम-21 के अन्तर्गत हैड कॉ0/कॉ0 को चार्ज सौंप देगा।

नियम 15-शस्त्रों तथा कारतूसों की सुरक्षा

विभिन्न प्रकार के कण्टिंजेंसी (contingencies)के लिए निम्न नियमों की व्यवस्था-:

- आर्म्स रैक तथा कारतूस के बाक्स
- बड़ी गार्ड जहाँ रात में विशेष सन्तरी लगाना हो
- छोटी गार्ड
- छोटी गार्ड जिनके लिए गार्ड रूम अथवा टेन्ट की व्यवस्था नहीं है
- जब आर्म्स रैक उपलब्ध न हो
- अपराधियों के विरुद्ध अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में लगी गार्ड
- रेल द्वारा यात्रा

नियम 17- गार्डों के लिए स्टैण्डिंग ऑर्डर्स

- गार्ड के लिए स्टैण्डिंग आर्डर की एक प्रति गार्ड रूम में लटकायी जायेगी।
- जिले के इस प्रकार के सभी आदेशों को प्रतिसार निरीक्षक एक फाइल में रखेगा।
- स्टैण्डिग आर्डर पर पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर होंगे।
- स्टैण्डिंग ऑर्डर्स गार्ड्स तथा स्कोर्ट रूल्स के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार होगी।
- गार्ड, शस्त्र, कारतूस, ड्यूटी पर लगे सन्तरियों की संख्या और बीट का नक्शा बना होगा।

नियम 18

गार्ड की उपस्थिति

- गार्ड के सभी व्यक्ति रिट्रीट के एक घण्टा पश्चात् से लेकर रिवाली तक गार्ड में उपस्थित होंगे।
- प्रतिदिन सुबह शाम आधे घण्टे के लिए पूरी गार्ड वर्दी में गार्ड रूम के बाहर टर्न अप होगी।
- रिवाली और रिट्रीट के समय गार्ड कमाण्डर गार्ड का निरीक्षण करेगा।
- दिन में आधी गार्द वर्दी में उपस्थित रहेगी।

नियम 19

निरीक्षण पुस्तिका

- प्रत्येक गार्ड जो एक माह से अधिक समय के लिए लगायी जाती है, गार्ड पर एक निरीक्षण पुस्तिका रखी जायेगी।
- निरीक्षण पुस्तिका में निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम , दिनाँक , आगमन का समय तथा आवश्यक विवरण लिखेंगे
- जिला मुख्यालय की गार्डों की निरीक्षण पुस्तिका सप्ताह में एक बार पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की जायेगी वे इस पर हस्ताक्षर करेंगे।

नियम 21- गार्द कमाण्डर के कर्तव्य

- गार्डों में जहाँ दो अथवा अधिक हैड काँ0 की व्यवस्था हो उनका कार्य बराबर-बराबर बाँट देना चाहिए । दिन के समय एक हैड काँ0 अनुपस्थिति रह सकता है।
- जहाँ पर एक हैड काँ0 हो दिन के समय चार घण्टे के लिए अनुपस्थित रह सकता है।अपनी अनुपस्थिति के लिए सीनियर काँ0 को गार्ड का चार्ज देकर नियुक्त करेगा।
- गार्ड कमाण्डर गार्ड छोड़ते समय व वापस आने पर रखी गयी पुस्तिका में विवरण अंकित करेगा। गार्ड कमाण्डर रात्रि में एक बार सन्तरी को चैक जरूर करेगा।

नियम 22

गार्डों का निरीक्षण

- दिवसाधिकारी द्वारा गार्डों का निरीक्षण
- प्रतिसार निरीक्षक द्वारा गार्डों का निरीक्षण
- पुलिस अधीक्षक/राजपत्रित अधिकारियों द्वारा गार्डों का निरीक्षण
- क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष/थाने के द्वितीयाधिकारी द्वारा गार्डों का निरीक्षण
- पुलिस लाइन से दूर की गार्डों का निरीक्षण

नियम 24

गार्डों की संख्या

- साधारणतया गार्ड की संख्या एक हैड कॉन्स्टेबल व तीन कॉन्स्टेबल होगी।
- अतिरिक्त गार्ड के लिए एक हैड कॉन्स्टेबल व चार कॉन्स्टेबल होंगे।

नियम 32

गार्ड कमाण्डर के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व

- गार्ड कमाण्डर अपनी 8 घण्टे की ड्यूटी के दौरान सन्तरी नियुक्त करने, उनकी देखभाल करने तथा परिवर्तन करने तथा उनके द्वारा सही ड्यूटी दिये जाने का उत्तरदायी होगा।
- जब हैड काँ0 की बदली तथा सन्तरी की बदली एक साथ पड़ जाये तो हैड काँ0 सन्तरी बदलने के बाद चार्ज देगा।
- रात्रि के समय सन्तरियों की नियुक्ति के अतिरिक्त सभी पोस्टों को एक बार चैक करेगा।

नियम 37

प्रकाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था

- लालटेन अथवा बिजली का बल्ब सन्तरी की पोस्ट पर रात भर जलता रखा जायेगा , लालटेन, मिट्टी का तेल तथा अन्य वस्तुऐं पुलिस अधीक्षक के आदेश से स्टोर से प्राप्त करेगा

नियम 62

कैम्प में बन्दियों पर लगायी जाने वाली गार्डों की संख्या तथा नियम

- बन्दियों पर लगायी जाने वाली गार्ड सशस्त्र पुलिस से दी जायेगी।
- सशस्त्र पुलिस उपलब्ध न हो, तो गार्ड नागरिक पुलिस से दी जायेगी।
- शस्त्र व कारतूस सशस्त्र पुलिस की भाँति दिये जायेंगे।

नियम 62

कैम्प में बन्दियों पर लगायी जाने वाली गार्डों की संख्या

बन्दियों की संख्या	लगाये जाने वाले गार्डों की संख्या		
	S.I.	H.C.	C.
100 बन्दियों तक	-	2	9
100-200 बन्दियों तक	-	2	12
200-300 बन्दियों तक	-	3	15
300-500 बन्दियों तक	1	3	18
500-700 बन्दियों तक	1	4	24

- बन्दियों की संख्या 700 से अधिक होने पर प्रति 100 बन्दियों पर दो हैड काँ0 तथा तीन काँ0 अधिक लगाये जायेंगे

नियम 76-

डकैती ड्यूटी में , अथवा थाने , पुलिस चौकियों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा गार्ड संख्या का निर्धारण

- इन गार्डों की संख्या पुलिस अधीक्षक निर्धारित करेंगे और प्रत्येक दशा में पूर्ण निर्देश तैयार करेंगे जिनकी प्रतिलिपियाँ गार्ड कमाण्डर , सर्किल ऑफिसर , तथा सम्बन्धित थाना अध्यक्ष को दे देनी चाहिए ।

नियम 106- स्कोर्ट माँगने वाले अधिकारी

निम्नलिखित अधिकारियों से सरकार के लिए अफीम , स्टाम्प , बन्दियों अथवा पागलों के लिए स्कोर्ट तलब करने पर, स्कोर्ट दिया जायेगा

1. मजिस्ट्रेट,जिला न्यायाधीश, जेल अधीक्षक
2. करेन्सी के डिप्टी कन्ट्रोलर
3. करेन्सी अफसर,खजाना अफसर
4. सब डिप्टी अफीम ऐजेन्ट
5. स्टेट बैंक के ऐजेन्ट (खजाना अफसर द्वारा सरकार की ओर से ले जाने वाले प्रमाणित धनराशि के लिए)

नियम 153- हथकड़ियाँ तथा बेड़ियाँ

- स्त्री बन्दियों को हथकडी नहीं लगायी जायेगी,जब तक कि उनको भागने से, हिंसात्मक कार्यवाही करने से, आत्महत्या करने से रोकने के लिए अत्यन्त आवश्यक न हो।
- न्यायालय के भीतर विचाराधीन बन्दियों को हथकड़ी अवश्य ही उतार ली जायेगी जब तक कि न्यायालय इसके विरूद्ध आदेश न दे।
- मृत्यु तथा आजीवन कारावास वाले बन्दियों को जब रेल व सड़क से यात्रा करते समय बेड़ियाँ/हथकड़ियाँ अवश्य लगायी जायेंगी।

नियम 153- हथकड़ियाँ तथा बेड़ियाँ

- उच्च श्रेणी के पुरुष बन्दियों को, जिनको दो वर्ष से अधिक कठोर कारावास का दण्ड दिया गया है,हथकड़ियाँ/बेड़ियाँ लगायी जायेंगी।
- उच्च श्रेणी के अन्य बन्दियों को हथकड़ियाँ/बेड़ियाँ नहीं लगायी जायेगी,जब तक कि पुलिस अधीक्षक,किसी विशेष कारणवश, जिसको कि लिखित देंगे।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन होगा

नियम 153

स्कोर्ट कमाण्डर के लिए सामान्य निर्देश

- सीनियर पुलिस अफसर की जिम्मेदारी होगी हथकड़ी/बेड़ियाँ ठीक तरह लगी है या नहीं।
- हथकड़ी/बेड़ी कपड़े से छिपाने की आज्ञा नहीं होगी।
- स्कोर्ट कमाण्डर हथकड़ी/बेड़ी की चाबियों को अपने पास रखेगा।

नियम 163- बाल अपराधी

- वारण्ट की तामील
- गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया
- हवालात में रखना
- हथकड़ी लगाना
- यात्रा का साधन
- अविलम्ब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना

नियम 185- स्कोर्ट की संख्या

- लोक अभियोजक का न्यायालय तिथियों पर बन्दियों को पेश करने का दायित्व
- जेलर को बन्दियों की सूची लोक अभियोजक द्वारा भेजना
- स्कोर्ट की संख्या द्वितीय परिशिष्ट में अंकित बड़ी हुयी स्केल के अनुसार होगी।
- लोक अभियोजक द्वारा पुलिस की संख्या के लिए प्रतिसार निरीक्षक के पास प्रार्थना पत्र भेजना।
- शस्त्र तथा कारतूस पुलिस अधीक्षक के आज्ञा से प्रदान किये जायेंगे।

नियम 194

सामान्य

- जहाँ तक व्यावहारिक रूप से सम्भव हो सेक्शन चार के नियमों का पालन करना चाहिए
- जब भी सम्भव हो विचाराधीन बन्दियों को रेल से ले जाया जायेगा

नियम 196

अस्थायी हवालात

- विचाराधीन बन्दियों को अस्थायी रूप से थाने की हवालात में रखना
- हथकड़ी लगाने के निर्देश

नियम 197-शस्त्र

- स्कोर्ट कर्मचारियों को हवालाती डण्डे/शस्त्र दिये जायेंगे।
- थानाध्यक्ष प्रत्येक स्कोर्ट की संख्या परिशिष्ट – 2 में दिये गये नियम के अनुसार निर्धारित करेंगे।

बन्दियो की संख्या	SI	HC	C
एक से तीन तक	-	-	2
चार से छः तक	-	-	3
सात से दस तक	-	1	4
ग्यारह से पन्द्रह तक	-	2	5
सोलह से पच्चीस तक	-	2	8
छब्बीस से पचास तक	-	3	10